प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 22.09.2026

थाना इन्दिरापुरम पुलिस द्वारा एक स्नैचर पुलिस मुढभेड़ मे गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक मोटर साईकिल व 01 अदद अवैध तमंचा मय 02 अदद खोखा कारतूस व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद ।

आज दिनांक 21/09/2026 को थाना इंदिरापुरम पुलिस टीम द्वारा कनावनी पुलिया के सामने ग्रीन बेल्ट वैशाली की तरफ संदिग्ध व्यक्ति व वाहन चैकिंग की जा रही थी। चैकिंग के दौरान 5/6 की पुलिया की तरफ से 02 व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आते दिखाई दिये मोटरसाईकिल सवारो को चैकिंग हेतु रूकने का इशारा किया तो मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियो ने मोटरसाइकिल को पीछे मोडकर भागने तथा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर करने लगे, पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही में 01 अभियुक्त घायल हुआ तथा दूसरा अभियुक्त फरार हो गया घायल अभियुक्त से नाम पूछने पर अपना नाम सोहेल निवासी मयूर विहार दिल्ली बताया जिसे उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण – गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त ने पूछने पर बताया कि मैं अपने दोस्त आमिर के साथ मिलकर स्नैचिंग व बाईक चोरी की घटनाए दिल्ली एनसीआर व गाजियाबाद आदि जगहो पर करते है तथा जो बाईक हमसे मिली है वह भी हमने दिल्ली से चोरी की है तथा करीब पन्द्रह बीस दिन पूर्व मोबाईल स्नैचिंग की घटना इन्द्रापुरम मे की थी जो भी पैसा हमे घटनाए करने पर जो सामान मिलता है उन्हे बेच कर जो पैसे मिलते है वह हम अपने खाने पीने व शौक आदि मे खर्च कर देते है।

नाम पता/विवरण गिरफ्तार अभियुक्त

सुहेल उर्फ फैसल पुत्र रमजानी निवासी ब्लाक 32/66 त्रिलोकपुरी थाना मयूर विहार दिल्ली उम्र करीब 23 वर्ष।

नाम पता/विवरण फरार अभियुक्त

आमिर अली उर्फ अमन पुत्र रफीक निवासी चिल्ला गांव मयूर विहार फेस -1 दिल्ली

बरामदगी

- 01 अदद तमंचा 315 बोर
- 02 अदद खोखा कारतूस 315 बोर
- 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर
- 01 मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट ड्यूक

आपराधिक इतिहास अभियुक्त –

अभियुक्त सुहेल उर्फ फैसल उपरोक्त के विरुद्ध पूर्व के चोरी आर्म्स एक्ट व स्नैचिंग के आदि के करीब 05 मुकदमे दर्ज है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

- थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम

थाना खोडा पुलिस टीम द्वारा 02 वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाईकिल व 01 अवैध चाकू बरामद ।

दिनांक 21.09.2026 को थाना खोड़ा पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्तगण 1- अमन कुमार उर्फ दया पुत्र पवन कुमार निवासी छिजारसी थाना सै0-63 नोएडा मूलनिवासी पकरीवर्मा जिला- नवादा, बिहार 2- निशान्त उर्फ गोलू पुत्र सुरेन्द्र कुमार निवासी छिजारसी थाना सैक्टर 63 नोएडा मूलनिवासी ग्राम बरसिया थाना बडौत कोतवाली जिला बागपत को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाईकिल व 01 अवैध चाकू बरामद हुए। अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना खोडा पर सुसंगत धारा 317(2) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्वयाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर बताया कि हम दोनों गाजियाबाद ,नोएडा व दिल्ली एनसीआर से मौका पाकर वाहन चोरी कर लेते हैं। यह मोटर साइकिल हमने दिल्ली गाजीपुर क्षेत्र से चोरी की थी जिसको आज हम बेचने के उद्देश्य से खोडा में जा रहे थे कि पुलिस चेकिंग में पकडे गये।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1- अमन कुमार उर्फ दया पुत्र पवन कुमार निवासी छिजारसी थाना सै0-63 नोएडा मूलनिवासी पकरीवर्मा जिला नवादा बिहार उम्र करीब 20 वर्ष।
2- निशान्त उर्फ गोलू पुत्र सुरेन्द्र कुमार निवासी गली नं0-1 इण्डियन ओवरसीज बैंक के पास छिजारसी थाना सैक्टर 63 नोएडा मूलनिवासी ग्राम बरसिया थाना बडौत कोतवाली जिला बागपत उम्र करीब 22 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

चोरी की 01 मोटरसाईकिल व 01 अवैध चाकू बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध उक्त सम्बन्ध में थाना खोडा पर 01 अभियोग पंजीकृत है एवं दिल्ली में चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः- थाना खोडा पुलिस टीम।

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा जान से मारने की नियत से गाड़ी चढ़ाने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

दिनांक 20.09.2026 को वादिया श्रीमती ललिता पुत्री श्री सुभाष चन्द्र शर्मा निवासी- टावर 24 फ्लैट न0 301, गुलमोहर सोसायटी थाना नन्दग्राम गाजियाबाद ने सूचना दी कि अभि0गण 1.कपिल कौशिक पुत्र लक्ष्मणस्वरूप कौशिक 2.लक्ष्मणस्वरूप कौशिक नि0गण गुलमोहर गार्डन राजनगर एक्सटेंशन थाना नन्दग्राम कमि0 गाजियाबाद द्वारा वादिया के साथ गाली गलौच करना, अभि0 लक्ष्मणस्वरूप कौशिक उपरोक्त द्वारा कपिल कौशिक उपरोक्त को मारपीट के लिए उकसाने पर कपिल द्वारा वादिया के साथ मारपीट करना, प्रताडित करना, जान से मारने की धमकी देना, वादिया के परिजनो को जान से मारने की नियत से उनके ऊपर बार बार गाडी चढाने की कोशिश करना तथा गाडी की टक्कर मारकर गाडी से कुचलकर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग जाने के सम्बन्ध में उक्त सूचना पर थाना नन्दग्राम पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरण- उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए, थाना स्तर पर टीमों का गठन किया गया, दिनांक 22.09.2026 को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त कपिल कौशिक पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह निवासी फ्लैट न0 301, M/A मैरीगोल्ड टावर 24 गुलमौहर गार्डन राजनगर एक्सटेन्शन थाना नन्दग्राम कमि0 गाजियाबाद उम्र करीब 38 वर्ष को आशियाना चौक राजनगर एक्सटेंशन के पास से गिरफ्तार किया गया ।अभियुक्त के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त का नाम व पता-

कपिल कौशिक पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह निवासी फ्लैट न0 301, M/A मैरीगोल्ड टावर 24 गुलमौहर गार्डन राजनगर एक्सटेन्शन थाना नन्दग्राम कमि0 गाजियाबाद उम्र करीब 38 वर्ष

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त से पूछताछ की गयी तो अभियुक्त कपिल कौशिक पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह निवासी फ्लैट न0 301, M/A मैरीगोल्ड टावर 24 गुलमौहर गार्डन राजनगर एक्सटेन्शन थाना नन्दग्राम कमि0 गाजियाबाद ने पूछताछ पर बताया कि साहब मेरा तथा मेरी पत्नी ललिता शर्मा से घरेलू बातों को लेकर विवाद चल रहा था। जिसमें दिनांक 20.09.2026 को मेरा मेरी पत्नी ललिता से मारपीट हो गयी थी। जिस पर मेरी पत्नी के द्वारा अपने परिवार वालो को बुला लिया था। जब मेरी पत्नी अपने परिवार वालो के साथ थाने जा रही थी मेरे द्वारा मेरी पत्नी के भाई की गाडी को टक्कर मारी गयी थी। तथा मैने अपने ससुर के पैर पर गाडी चढा दी थी।

गिरफ्तार करने वाली टीम—

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम कमिश्नरेट गाजियाबाद।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग में वांछित 03 अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 21.09.2026 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्तगण 1.ऋषिपाल पुत्र जगदीश 2.विक्रान्त पुत्र ऋषिपाल 3. गजेन्द्र पुत्र विरमे व एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा प्लाट के कब्जे को लेकर वादी व अन्य के ऊपर पथराव करना तथा जान से मारने की नियत से वादी के ऊपर लाइसेन्सी रिवाल्वर से गोली चलाना जिसमें वादी का बच जाना तथा गोली मौके पर सन्दीप पुत्र कृष्णपाल के लग जाना एवं जान से मारने की धमकी देना जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल

थाना लोनी बॉर्डर पर सुसंगत धारा- 125(बी)/109(1)/351(3) /3(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया व अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 21.09.2026 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण 1.ऋषिपाल पुत्र जगदीश 2.विक्रान्त पुत्र ऋषिपाल निवासीगण 30 फुटा रोड बलराज नगर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद 3. गजेन्द्र पुत्र विरमे निवासी गाँव खुर्रमपुर थाना मुरादनगर गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया व घटना स्थल से फील्ड यूनिट द्वारा एक रिवाल्वर, 09 खोखा, 02 जिन्दा कारतूस बरामद किये गये। जिसके आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा- 27/30 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण से पूछताछ करने पर अभियुक्त ऋषिपाल ने बताया कि मैंने व मेरे बेटे विक्रान्त ने अपनी लाइसेन्सी रिवाल्वर से विपक्षीगण से चल रहे विवादित प्लाट के कब्जे को लेकर नेपाल सिंह को गोली मारी थी लेकिन गोली सन्दीप पुत्र कृष्णपाल निवासी बेहटा के लग गयी थी व गजेन्द्र भी हमारे साथ झगडे में मौजूद था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. ऋषिपाल पुत्र जगदीश निवासी बलराज नगर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद, उम्र करीब 69 वर्ष
2. विक्रान्त पुत्र ऋषिपाल निवासी बलराज नगर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद, उम्र करीब 38 वर्ष
3. गजेन्द्र पुत्र विरमे निवासी गाँव खुर्रमपुर थाना मुरादनगर गाजियाबाद, उम्र करीब 54 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

थाना लोनी बॉर्डर पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम

थाना कविनगर पुलिस टीम द्वारा हत्या का प्रयास करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

घटना का विवरणः- दिनांक 04.06.2026 वादी रामब्रेस यादव पुत्र साहब सिह यादव निवासी म0नं0 18 अच्छेजा थाना बादलपुर गौतमबुद्ध नगर द्वारा अभियुक्तगण द्वारा वादी के बेटे देवेन्द्र के साथ मारपीट करना, तथा जान से मारने की नीयत से महेन्द्रा गाडी पीकप से कई बार वादी के बेटे को टक्कर मारना जिससे वादी के बेटे को गंभीर चोट आने के सम्बन्ध में थाना कविनगर पर तहरीर दी। उक्त घटना को संज्ञान में लेते हुए तत्काल थाना कविनगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरणः- घटना के अनावरण हेतु टीम गठित की गयी। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों व लोकल इनपुट की मदद से मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना कविनगर पुलिस टीम द्वारा दिनांक 22.09.2026 को अभियुक्त सियाराम पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम धमेडी थाना सुरसा, जनपद हरदोई, हाल पता मंशा सिटी आर0एस0 पब्लिक स्कूल के पास धूम मानिकपुर थाना बादलपुर कमि0 गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 32

वर्ष को मंशा सिटी थाना बादलपुर कमि0 गौतमबुद्ध नगर से गिरफ्तार किया गया। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरणः-</u> गिरफ्तार अभियुक्त सियाराम ने पूछताछ में बताया कि दिनांक 01.06.2026 मै अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा था। मेरे दोस्त व आवेदक के बेटे देवेन्द्र उर्फ देवा के साथ पहले से रंजीश थी। काफी शराब पीने के बाद मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर देवेन्द्र उर्फ देवा को गाडी से दो बार टक्कर मारी थी।

<u>अभियुक्तगण का नाम पता-</u>

- सियाराम पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम धमेडी थाना सुरसा, जनपद हरदौई, हाल पता मंशा सिटी आर0एस0 पब्लिक स्कूल के पास धूम मानिकपुर थाना बादलपुर कमि0 गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 32 वर्ष।

<u>गिरफ्तार करने वाले टीमः-</u>
पुलिस टीम थाना कविनगर पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद